

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
जनपद- बांदा।

विषय: मैसर्स अवादा आई0एन0डी0 सोलर प्रा0लि0 नई दिल्ली द्वारा ऑपेन एक्सेस के अन्तर्गत 70 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम0-अलोना, तहसील-पेलानी, जनपद- बांदा में चिन्हांकित 29.98 एकड़ सरकारी भूमि को सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधान अनुसार लीज पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने आदेश पत्र संख्या 15/12ए-भूमि व्यवस्था-बांदा दिनांक 03.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा ग्राम0-अलोना, तहसील-पेलानी, जनपद- बांदा में चिन्हांकित कुल 29.98 एकड़ सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहित की गयी है एवं लीज रेंट की धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया गया है।

उक्त के क्रम में सूचनीय है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1050/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 (प्रति सलंगन) के द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये हैं।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के निवेशको को रु. 15000/- प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के लीज रेंट पर तथा सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रु0 1.00 प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर लीज पर 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 08 उल्लेखित है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसे प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लीज पर दिये जाने के लिए प्रस्तावित की जायेगी। निवेशक द्वारा एक महीने के अन्दर अपनी फाइनेन्शियल नेटवर्थ, डीपीआर, बैकवर्ड एण्ड फारवर्डलिंगेज तथा अन्य सुसंगत विवरण यूपीनेडा के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद ही उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत लीज डीड निष्पादित की जा सकेगी।

उपरोक्त के क्रम में शासन के कार्यवृत्त पत्र संख्या 139/87-2023/अति0ऊ0स्रो0वि0 दिनांक 31.01.2024 (प्रति सलंगन) के बिन्दु 2(क) के अनुसार मैसर्स अवादा आई0एन0डी0 सोलर प्रा0लि0 नई दिल्ली को ऑपेन एक्सेस के अन्तर्गत 70 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम0-अलोना, तहसील-पेलानी, जनपद-बांदा में चिन्हांकित 29.98 एकड़ सरकारी भूमि को सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत रु. 15000.00 प्रति एकड़ की दर से 30 वर्षों हेतु लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मैसर्स अवादा आई0एन0डी0 सोलर प्रा0लि0 नई दिल्ली द्वारा अपने ई-मेल पत्र दिनांक 28.11.2023 से वार्षिक लीज रेंट की धनराशि (29.98 एकड़ X Rs. 15000) कुल रू. 4,49,700.00 (रू0 चार लाख उन्चास हजार सात सौ मात्र) यूपीनेडा में जमा कर दी गयी है (प्रति सलंगन)।

अस्तु उपरोक्त के दृष्टिव्य आपसे अनुरोध है कि मैसर्स अवादा आई0एन0डी0 सोलर प्रा0लि0 नई दिल्ली को 70 मेगावाट क्षमता सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम0-अलोना, तहसील-पेलानी, जनपद- बांदा में कुल 29.98 एकड़ सरकारी भूमि को लीज पर दिये जाने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सलंगनकः-यथोक्त।

भवदीय,



(अनूपम शुक्ला)  
निदेशक, यूपीनेडा।

प्रतिलिपि:-1. मैसर्स अवादा आई0एन0डी0 सोलर प्रा0लि0 नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर यूपीनेडा की ओर से लीज डीड संबंधित आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(अनूपम शुक्ला)  
निदेशक, यूपीनेडा।

